

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
पत्रांक 464/ 22-2 मुरादाबाद, दिनांक, अगस्त 27, 2016।
सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय :- जनपद बिजनौर में बिजनौर-नूरपुर-छजलैट (राज्य मार्ग संख्या-76) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 13.61 (संशोधित 27.23 हे०) संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- **New online submission file no. FP/UP/Road/20898/2016 date 08-08-2016** एवं आपका पत्रांक 258/बिजनौर/18935/2016/यू०पी०-106 दिनांक 05-08-2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा उक्त प्रस्ताव में आपके द्वारा आपत्तियों इंगित की गयी थी, उक्त प्रस्ताव का याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर पुनः आनलाइन आवेदन किया गया है, इस क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक 520/14-1 दिनांक 26-08-2016 द्वारा प्रस्ताव को पुनः संशोधित करते हुए इस कार्यालय में शासन को भेजने हेतु उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए पुनः संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ

भवदीय

(आर० पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

पत्रांक / 22-2 उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर को उनके उक्त पत्र के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव की प्रतियाँ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०पी० लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक-व्यापार।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर० पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।